

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/199

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	133/24	9/5/24		23/5/24
प्रार्थी का	133/24			

अनवान

श्री प्रादेवी w/o पन्नालाल बंगार श्री मोतीलाल S/o बणीचंद धावड़

निवासी काटवाड़ा

निवासी लक्ष्मी नवाय

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री पंकज कुमार धावड़

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

बनाम मोतीलाल

बनाम

मोतीलाल

किरम मुकदमा -

11-128

नम्बर

133

/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

29/05/2024

प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 23/05/2024 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

23/5/24

पत्रावली चेरा इरी अधिकारता धरणी उपस्थित। विपक्षीगण की बार तलबी प्राप्त हुई। विपक्षीगण बार खूचना अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक दलील भौदरा पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बरस भोगानी दिनांक 28/05/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

28/5/24

पत्रावली चेरा इरी अधिकारता धरणी उपस्थित। पत्रावली में भौदरा पारित किए गए। पत्रावली में तलबीदार बिजौलिया को तलबी जारी हो। पत्रावली फेरतल शुमार ईवट नम्बर लेकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 133/24

तारीख दायर 09/05/24

एनादेवी पत्नि पन्नालाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी कांटबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0प्रार्थीया

बनाम्

1. नाथु पिता लाखा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी कांटबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. रमेश पिता रतन बंजारा उम्र वयस्क निवासी कांटबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. कमलेश पिता नोला जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 9/5/24

प्रार्थना पत्र एना देवी ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम केरखेडा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 179 पर अंकित आराजी संख्या 662 रकबा 0.5018हे0भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम केरखेडा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 179 पर अंकित आराजी संख्या 662 रकबा 0.5018हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या -133/24
प्रेषिति :-तहसीलदार बिजौलियाँ

तारीख दायर 9/5/24

विषय :- प्रकरण संख्या 133/24 पत्थरगढ़ी बाबत।

एनादेवी पत्नि पन्नालाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी
कांटबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. नैधु पिता लाखा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी कांटबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. रमेश पिता रतन बंजारा उम्र वयस्क निवासी कांटबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. कमलेश पिता नोला जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम केरखेडा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 179 पर अंकित आराजी संख्या 662 रकबा 0.5018हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ